"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक / पंचा/पंग्राविवि/22/2011/108.— छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 70 की उप-धारा (1), सहपठित धारा 95 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 388) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में ; -

1. अनुसूची-दो के सरल क्र. 1 के कॉलम क्र. (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

" तत्सम्बन्धी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी. एड."

2. अनुसूची-दो के सरल क्र. 2 के कॉलम क्र. (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"संबंधित विषय समूह में स्नातक तथा बी. एड."

3. अनुसूची-दो के सरल क्र. 3 के कॉलम क्र. (5) की प्रविष्टियों में, शब्द "डी. एड." के पश्चात् शब्द "/बी. एड." जोड़ा जाए.

4. अनुसूची-दो की टीप के सरल क्र. 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :-

"छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय-समय पर आयु सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षाकर्मियों के लिए भी लागू होगी."

5. अनुसूची-दो की टीप के सरल क्र. 5 में, शब्द "50 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "30 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए.

6. अनुसूची-दो की टीप के सरल क्र. 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"7 शिक्षाकर्मियों की मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के लिए आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात् 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी. एड./डी. एड. में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी, -

(एक) शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की नियुक्ति के लिए 10 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा डी. एड./बी. एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक.

(दो) शिक्षाकर्मी वर्ग-2 की नियुक्ति के लिए 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी. एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक.

(तीन) शिक्षाकर्मी वर्ग-1 की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी. एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक / पंचा/पंग्राविवि/22/2011/109.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/108/दिनांक 28-01-11 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

Raipur, the 28th January 2011

NOTIFICATION

No. P/PGVV/22/2011/108.— The following draft of amendment in the Chhattisgarh Panchayat Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2007 which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 53 and sub-section (1) of Section 70 read with sub-section (1) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Additional Chief Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur (Room No. 388) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

Draft Amendment

In the said rules, -

1. For the entries of column number (5) of serial number 1 of Schedule-II, the following entries shall be substituted. namely :-

"Post Graduate Degree in respective Subject and B. Ed."

2. For the entries of column number (5) of serial number 2 of Schedule-II, the following entries shall be substituted, namely :-

"Graduate in related Subject group and B. Ed."

3. In the entries of column number (5) of serial number 3 of Schedule-II, after the words "D. Ed." the words "/B. Ed." shall be added.

4. For the serial number 1 of the Note of Schedule-II, the following entry shall be substituted, namely :-

"1. All types of age relaxation for Shiksha Karmies are also applicable which is provided by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh for appointment of Government Services from time to time."

5. In serial number 5 of the Note of Schedule-II, for the words "Fifty percent" the words "Thirty percent" shall be substituted.

6. After serial number 6 of the Note of Schedule-II, the following serial number shall be inserted, namely :-

"7. Preference shall be made to obtained marks in educational qualification i. e. 10th, 12th, Graduate, Post Graduate and B. Ed./D. Ed. of applicants for direct recruitment on merit of Shiksha Karmies,-

(i) For the appointment of Shiksha Karmi Grade-3, 20 marks on the percentage of marks obtained in 10th, 50 marks on the percentage of marks obtained in 12th and 30 marks on the percentage of marks obtained in D. Ed./B. Ed."

(ii) For the appointment of Shiksha Karmi Grade-2, 20 marks on the percentage of marks obtained in 12th, 50 marks on the percentage of marks obtained in Graduate and 30 marks on the percentage of marks obtained in B. Ed.

(iii) For the appointment of Shiksha Karmi Grade-1, 20 marks on the percentage of marks obtained in Graduate, 50 marks on the percentage of marks obtained in Post Graduate and 30 marks on the percentage of marks obtained in B. Ed."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.